

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर
प्रतिवादीगण

वादी
छोटी

बनाम

छोटी व अन्य

संख्या 129/25(2025/347

online number)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी. एकट

आज्ञा
प्रवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

25

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मीना द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एकट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/08/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बरसी

रजि.
नोटिस
968
15/7/25

3/28

पत्रावली पेश। वादी एवं वाही अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार अपील लगाई गई, बावजूद इसके दायित्व नहीं। इसके यह स्पष्ट है कि वाही एवं वाही अधिवक्ता इका वादपत्र दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एकट को अग्रस्त नहीं करना चाहते हैं।

अतः उक्त वादका अदम हमरी-

अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर

फरार दाखिल है।